बिहार सरकार
उद्योग विभाग

<u>संकल्प</u>

प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु बाजार समिति परिसर चनपटिया, की 29.30 एकड़ भूमि को कृषि विभाग, बिहार से उद्योग विभाग, बिहार को हस्तांतरित करने तथा चनपटिया स्टार्ट–अप जोन परिसर के टेक्सटाईल/वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाईयों को विशेष परिस्थिति मानते हुंएं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 के तहत अच्छादित किये जाने एवं तदनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में।

दिनांक–22.12.2024 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा पश्चिम चम्पारण जिला में प्रगति यात्रा के दौरान चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की घोषणा की गयी है। चनपटिया, जो वर्तमान में बाजार समिति परिसर में 02 (दो) BSFC के बड़े एवं 05 (पाँच) बाजार समिति के छोटे गोदामों तक ही सीमित है, इसे व्यापकता दिये जाने से अधिकाधिक उद्यमी निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे एवं औद्योगिक वातावरण का निर्माण भी हो सकेगा। इसमें नये प्लग एण्ड प्ले शेड का निर्माण, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जल निकासी की व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण हेतु कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, उत्पाद प्रदर्शन–सह–बिक्री केन्द्र, सुरक्षा के दृष्टिकोण से घेराबंदी एवं बुनियादी सुविधाएँ जैसे शौचालय, पालना घर, कैंटिन इत्यादि का निर्माण परिसर में ही करते हुए लघु औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकेगा। चनपटिया स्टार्ट–अप जोन में विभिन्न प्रक्षेत्रों यथा (i) टेक्सटाईल/वस्त्र प्रक्षेत्र (ii) प्लास्टिक प्रक्षेत्र (iii) फूटवेयर प्रक्षेत्र (iv) आयरन एवं स्टील प्रक्षेत्र से जुड़े कुशल श्रमिकों/उद्यमियों द्वारा कुल 58 इकाईयों की स्थापना की गयी। यह मॉडल नवाचार का एक बेहतरीन उदहारण बनकर राष्ट्रीय पटल पर उभरा था एवं इसकी काफी सराहना भी की गयी थी।

2. वर्तमान में चनपटिया में स्थापित कतिपय इकाईयों को पूंजीगत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप इनमें से कुछ इकाईयाँ कार्यशील पूंजी के अभाव में बन्द हो चुकी हैं। इस कारण इन इकाईयों द्वारा लिया गया ऋण भी कालक्रम में नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) में परिणत हो गया है। इसके अतिरिक्त चनपटिया में स्थापित इकाईयों को अन्य कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें विशेष रूप से बैंकों से नया ऋण न मिल पाना, उद्योग विस्तार हेतु नये शेड की आवश्यकता, मूलभूत सुविधाएँ अहम मुद्दे हैं।

3. यहाँ उल्लेखनीय है कि चनपटिया स्टार्ट–अप जोन में अवस्थित अधिकांश इकाईयाँ टेक्सटाईल प्रक्षेत्र से संबंधित हैं परन्तु इनकी स्थापना वस्त्र एवं चर्म नीति, 2022 आने के पूर्व होने के कारण इन्हें इस नीति का लाभ नहीं दिया जा सका है। चूंकि चनपटिया मॉडल अपने

आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। अतः उक्त परिस्थिति में चनपटिया स्टार्ट–अप जोन में वस्त्र एवं चर्म नीति, 2022 के प्रवृत होने की तिथि–03.06.2022 के पूर्व स्थापित इकाईयों को विशेष परिस्थिति में समावेशित किये जाने से न सिर्फ उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने का अवसर भी मिल सकेगा।

4. उक्त तथ्यों के आलोक में चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं विशेष परिस्थिति में वहाँ स्थित टेक्सटाईल / वस्त्र प्रक्षेत्र इकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निम्न प्रावधान किया जाता है:–

(i) चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु बाजार समिति परिसर चनपटिया, की 29.30 एकड़ भूमि को कृषि विभाग, बिहार से उद्योग विभाग, बिहार को हस्तांतरण।

(ii) चनपटिया स्टार्ट–अप जोन परिसर के टेक्सटाईल / वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाईयों को विशेष परिस्थिति मानते हुए वस्त्र एवं चर्म नीति, 2022 के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करने हेतु इस नीति के तहत अच्छादित किये जाने एवं तदनुसार प्रोत्साहन का लाभ दिये जाने का प्रावधान।

5. कृषि विभाग द्वारा बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम, 2006 एवं कृषि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2997, दिनांक–18.05.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम, 2006 की संगत धारा में आवश्यक संशोधन करा ली जायेगी।

6. उक्त पर दिनांक–10.01.2025 की मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या–44 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/1/2025

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 161 /पटना, दिनांक:– 10/01/2025
सं0सं0–4तक0 / नीति–चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र / 05 / 2024
प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/2025
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 161 /पटना, दिनांकः– 10/01/2025

सं0सं0–4तक0/नीति–चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र/05/2024

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

10/1/2025

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 161 /पटना, दिनांकः– 10/01/2025

सं0सं0–4तक0/नीति–चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र/05/2024

प्रतिलिपि :– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/2025

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 161 /पटना, दिनांकः– 10/01/2025

सं0सं0–4तक0/नीति–चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र/05/2024

प्रतिलिपि :– उद्योग निदेशक/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पटना, मुजफ्फरपुर एवं उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/2025

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 161 /पटना, दिनांकः– 10/01/2025

सं0सं0–4तक0/नीति–चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र/05/2024

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/2025

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ......L6L...... /पटना, दिनांकः– ..10/01/2025..

सं0सं0–4तक0 / नीति–चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र / 05 / 2024

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

10/1/2025

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ......L6L...... /पटना, दिनांकः– ..10/01/2025..

सं0सं0–4तक0 / नीति–चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र / 05 / 2024

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

10/1/2025

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

I T. Manager